संख्या–218/9–आ–3–98–100 विविध/97

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 1998

विषय : नगरों की महायोजना की परिकल्पना को नियंत्रित एवं व्यवहारिक बनाये जाने एवं मिले–जुले भू–उपयोग हेतु आदर्श नियमावली।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अधिसूचना संख्या–3369/9–आ–3–98–100 विविध/97 दिनांक 24 जनवरी, 1998 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त अधिसूचना द्वारा सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा–14 तथा 15 या तद्धीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशों से उक्त अधिनियम की धारा–53 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के साथ छूट प्रदान की गयी है। कतिपय प्राधिकरणों ने यह जिज्ञासा की है कि उक्त सेवा से सम्बन्धित निर्माणों को महायोजना एवं जोनिंग रेगुलेशंस में किस भू–उपयोग के अर्न्तगत रखते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेलुलर मोबाईल संचार प्रणाली एक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा है जिसकी आवश्यकता सभी भू–उपयोगों में होती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएं यथा सड़क, नाली, सीवर, विद्युत खम्भे, टावर, ट्रांसफारमर, टेलीफोन के खम्भे/टावर आदि किसी भी भू–उपयोग में बिना किसी प्रतिबन्ध के लायी जा सकती है। सेलुलर मोबाईल संचार सेवा भी अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान है। अतः इसके लिए आवश्यक टावर व संलग्न रेडियों एक्यूपमेंट व जनरेटर कक्ष भी महायोजना में समस्त भू–उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किया जाए, जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएं अनुमन्य हैं। कृपया उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यही व्यवस्था शमन की कार्यवाहियों पर लागू होगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–218(1)/9–आ–3–98–100 विविध/97 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
3. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु को सूचनार्थ।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
एच. पी. सिंह
अनु सचिव